न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0 — प्रथम पक्ष – पौलिना देवी .... वगैरह

बनाम

वाद सं0 97 / 2023 — द्वितीय पक्ष – बिन्देश्वर राम ..... वगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना कुरकुरा के अप्राथमिकी सं0 10 / 2023 दिनांक 30 / 11 / 2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गय। है कि **प्रथम पक्ष** (1) पौलिना देवी उम्र 53 वर्ष पति स्व0 केश्वर राम (2) आकाश राम उम्र 22 वर्ष पिता स्व0 केश्वर राम (3) बिटेश राम उम्र 20 वर्ष बिटेश राम उम्र 20 वर्ष पिता स्व0 केश्वर राम तीनो ग्राम जामडीह, थाना कुरकुराजिला गुमला बनाम **द्वतीय पक्ष** (1) बिन्देश्वर राम उम्र 52 वर्ष पिता स्व0 मोती राम (2) जीरामुनी देवी उम्र 37 वर्ष पति बिन्देश्वर राम (3) मुकेश राम उम्र 32 वर्ष पिता स्व0 मोती राम सभी ग्राम जामडीह, थाना कुरकुरा, जिला गुमला के बीच दोनो पक्षो के बीच कुरकुरा थाना कांड सं0 13 / 23, 14 / 23 दोनो दिनांक 28 / 11 / 2023 में दोनो पक्षो के मध्य फसल को नुकसान तथा मारपीट को लेकर आपसी विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षो के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है। उभय पक्ष को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हैं। उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित :– उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी **कुरकुरा** या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । 14/6/24 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.27 16:06:08 +05:30
Location: 192.168.1.4